राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– 94 / 2019

सरकार

बनाम

सवाई पुत्र सांवताराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

...................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 27–09–2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री रोहिताश्व कुमार गूर्जर हाजिर अदालत आये। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 के रकबा 0.36 हेक्टेयर पर गैर सायल सवाई पुत्र सांवताराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने चारों तरफ छाप व मिट्टी की मेड़ बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता श्री रोहिताश्व कुमार गूर्जर के जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल ने कोई नाजायज कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि गैर सायल का उक्त भूमि पर उसके पूर्वजो के समय से यानि 50–60 वर्षो से पुराना कब्जा है। गैर सायल ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चे से काबिल काश्त बनाया है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी / गैर सायल के विरूद्ध चल रही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को ड्राप की जाकर प्रार्थी / गैर सायल के हक में नियमन की सिफारिश किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस अधिवक्ता गैर सायल सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायल ने जबाब नोटिस के बिन्दुओं को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत भूमि

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

पर गैर सायल ने कोई नाजायज कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि गैर सायल का उक्त भूमि पर उसके पूर्वजो के समय से यानि 50–60 वर्षो से पुराना कब्जा है। गैर सायल ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चे से काबिल काश्त बनाया है। बहस के अन्त में अधिवक्ता गैर सायल ने प्रश्नगत भूमि की गैर सायल के पक्ष में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल सवाई पुत्र सांवताराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0ने राजस्व ग्राम **देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 के रकबा 0.36 हेक्टेयर पर चारों तरफ छाप व मिट्‌टी की मेड़ बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 के रकबा 0.36 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम **देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 के रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.) ★

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner